नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरणः एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्राप्तिः 23.08.2025
स्वीकृतः 13.09.2025

70

सिद्धार्थ राज
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल०ना०मि० वि० वि०, दरभंगा
ईमेलः *cdharthraj@gmail.com*

डॉ0 घनश्याम रॉय
सह–प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल०ना०मि० वि० वि०, दरभंगा
ईमेलः *drgsroy03@gmail.com*

सारांश

महिला सशक्तिकरण बिहार में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विमर्श का मुद्दा है। यह न केवल राज्य के विकास दर को प्रभावित करता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक समरसता के लिए भी आवश्यक है। नीतीश कुमार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन और नीतिगत पहलें शामिल हैं। इनके नेतृत्व में महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के माध्यम से सशक्त करने पर बल दिया गया है। इससे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया और उनके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। यह अध्ययन नीतीश कुमार की नीतियों का विश्लेषण करते हुए इस बात पर बल देता हैं कि कैसे उनके नेतृत्व ने बिहार में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इस अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि सशक्त महिलाओं का समाज में क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है और कैसे यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक बनता है।

मुख्य बिंदु

बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार, नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक बजट, महिला सहभागिता।

परिचय

बिहार में नीतीश कुमार के शासनकाल के दौरान महिला सशक्तिकरण एक महत्त्वपूर्ण विमर्श बना। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। बिहार के परंपरागत समाज में विवाह, मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारियां, आदि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। नीतीश

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.70

कुमार के द्वारा सामाजिक संरचना में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पहल किए गए। मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, महिलाओं के लिए रोजगार में 35% आरक्षण, स्थानीय स्वशासन के निकायों में 50% आरक्षण, लैंगिक बजट के अलावा जीविका के माध्यम से लाखों स्वयं सहायता समूह के गठन के द्वारा बिहार में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन नीतीश कुमार नीत गठबंधन की सरकार के द्वारा लाया गया है।

बिहार सरकार द्वारा चलाए गए इन कार्यक्रमों के फलस्वरूप पारिवारिक निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हैं। वित्तीय समावेशन अंतर्गत महिलाओं के बैंक खाते खोले गये तथा घर एवं जमीन का स्वामित्व में महिला भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। उपरोक्त तीनों कारक सशक्तिकरण के सूचक में आते हैं। सतत विकास के लक्ष्य के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव के अंत करने की दिशा में बिहार तेजी से अग्रसर है।

महिला सशक्तिकरणः एक अवलोकन

''महिलाओं को सशक्त बनाना एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए एक शर्त है जब महिलाएं सशक्त होंगी, तो स्थिरता वाला समाज सुनिश्चित होगा। महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है क्योंकि उनके विचार और उनके मूल्य प्रणाली एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास की ओर ले जाते हैं।''

डॉ0 एपीजे अब्दुल कलाम

महिला सशक्तिकरण महिलाओं में अपने जीवन और कार्य संबंध में निर्णय लेने की क्षमता में समान अधिकार प्रदान करना है। सशक्तिकरण ज्ञान और संसाधनों तक अधिक पहुँच, निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता, जीवन की योजना बनाने की क्षमता, जीवन को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण और रीति–रिवाजों, विश्वासों एवं प्रथाओं से मुक्ति प्रदान करता है। 1985 में नैरोबी में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में सशक्तिकरण को ''महिलाओं के पक्ष में सामाजिक शक्ति और संसाधनों का नियंत्रण का पुनर्वितरण''[1] बताया गया था। इसमें संसाधनों पर नियंत्रण शामिल है। इसका लक्ष्य सामाजिक संसाधनों, आय, स्वास्थ्य, पोषण, संपत्ति, रोजगार और घरेलू संसाधनों पर महिलाओं का नियंत्रण स्थापित करना है। महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाए हुए रूढ़िवादी लैंगिक पूर्वाग्रह के कारण इन संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए पहले जागरूकता बढ़ानी होगी। सशक्तिकरण का अर्थ है रखरखाव, आत्मनिर्भरता और स्वशासन।

महिला सशक्तिकरण एक जटिल लेकिन महत्त्वपूर्ण विषय है, विशेष रूप से बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व के संदर्भ में। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में अनेक नीतियों और कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अभिप्रेत हैं। यह बदलाव न केवल सामाजिक संरचना को चुनौती देता है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयास करता है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार ने 'न्याय के साथ विकास' का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत की।[2]

सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जो चुनाव की स्वतंत्रता, स्वायत्तता, मुक्ति, भागीदारी, आत्मविश्वास, गतिशीलता और आत्मनिर्णय को दर्शाता है। सशक्तिकरण के तरीकों को पाँच मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है; सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। यह महिलाओं के साथ–साथ समाज में अन्य वंचित, हाशिए पर पड़े और सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों पर भी लागू होता है। विशेष रूप से, महिलाएँ अन्य सामाजिक रूप से बहिष्कृत समूहों के सापेक्ष एक श्रेणी में आती हैं और उनकी लाचारी का मूल कारण उनके पारिवारिक संबंध होता हैं।[3]

देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण को स्पष्ट लक्ष्य के बतौर शामिल किया गया था। महिला घटक योजना के साथ इसे नौवी योजना में आगे बढ़ाया गया था। इसके अंतर्गत महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि के प्रवाह को सूचित करना चिन्हित मंत्रालयों के लिए जरूरी किया गया था। बाद में, बारहवीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में लैंगिक समानता के जिन मुख्य सूचकों पर काम किया जाना था, उनकी पहचान की गई। केंद्र सरकार के अलावा, राज्य सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हाल के वर्षों में अनेक प्रयास करती रही है।

नीतीश कुमार के नेतृत्व का महत्त्व

नीतीश कुमार के नेतृत्व ने बिहार के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देकर न केवल राज्य की विकास यात्रा को सुगम बनाया, बल्कि इसे 'नया बिहार' बनाने का भी प्रयास किया। इसके अंतर्गत बिहार विकास मिशन और जीविका परियोजना जैसे कार्यक्रमों ने सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, जिससे महिलाओं ने निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार में सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। यह स्थानीय राजनीति से सम्पूर्ण राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को आकार दे रहे हैं। बिहार में महिला आरक्षण की राजनीति के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। इसने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने में नीतीश कुमार के नेतृत्व की भूमिका को और मजबूत किया।

महिलाओं को प्रभावित करने वाली पारंपरिक भूमिकाएँ और सामाजिक मानदंड

महिलाओं के पारंपरिक भूमिकाएँ और सामाजिक मानदंड भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर बिहार में, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक हैं। इन पारंपरिक मानदंडों में विवाह, मातृत्व और घरेलू जिम्मेदारियों को सबसे ऊपर रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से वंचित किया जाता है। नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन सामाजिक संरचना में गहराई से समायी वर्जनाएँ अभी भी चुनौती पेश करती हैं। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि पारंपरिक सामाजिक ढांचों को चुनौती दी जाए।

महिला सशक्तिकरणः नीतीश कुमार की नीतियाँ और पहल

नीतीश कुमार की नीतियाँ और पहल बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई हैं।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.70

लैंगिक बजट

बजट वित्तीय योजना का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए यह व्यापक आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय दक्षता, रणनीतिक प्राथमिकता स्थापित करने और सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत साधन है। लिंग आधारित बजट, बजट प्रक्रिया के सभी चरणों में लिंग आयाम को एकीकृत करने का एक साधन है जिसमें वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने और उनके व्यय में भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना और पारदर्शिता शामिल है। यह लिंग विशिष्टता के बिना महिलाओं, पुरुषों और यौन अल्पसंख्यकों दोनों की विभिन्न आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर विचार करने के बारे में है। लैंगिक बजट यह सुनिश्चित करता है कि बजट लिंग–संवेदनशील हो और लिंग तटस्थ न हो, जिसका अर्थ है कि वे लिंग समानता स्थापित करने की दिशा में तैयार हैं और वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म, जातियता और भौगोलिक स्थिति के साथ लिंग की अंतःक्रियाशीलता के प्रति संवेदनशील हैं।

बिहार सरकार वर्ष 2008–09 से जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2015 में महिला विकास निगम (डब्ल्यूडीसी) के एक कोषांग–लैंगिक संसाधन केंद्र को कल्याण विभाग द्वारा लैंगिक बजट निर्माण के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया।

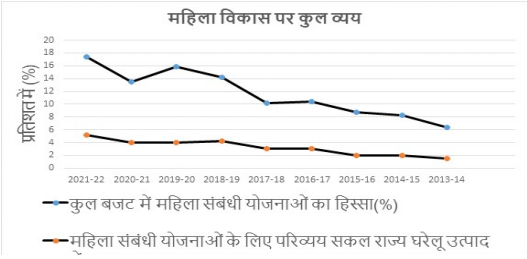

स्त्रोतः बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021–22 एवं 2023–24

बिहार में वर्ष 2013–14 से वर्ष 2020–21 के दौरान महिला विकास पर कुल व्यय की तालिका प्रस्तुत है। इन वर्षों के दौरान महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर व्यय वर्ष 2013–14 में 5165.12 करोड़ रुपया था जो बढ़कर वर्ष 2021–22 में 33695.6 करोड़ रुपया हो गया। राज्य की कुल बजट में महिलाओं के हिस्सेदारी वर्ष 2013–14 में 6.4% था यह बढ़कर वर्ष 2021–22 में 17.4% हो गया। राज्य घरेलू उत्पाद में महिलाओं के लिए परिव्यय 2013–14 में 1.5% से बढ़कर 2021–22 में 5.2% हो गया।

वर्ष 2018 से 2023 के मध्य महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ महिलाओं पर कुल व्यय 90 प्रतिशत बढ़ा है। इस कालखंड में श्रेणी–1 के व्यय 2.3 गुना और श्रेणी–2 का व्यय 1.7 गुना बढ़ा है। इन वर्षों में, महिलाओं का कुल बजट में हिस्सा लगभग 18.1 प्रतिशत रहा है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका कुल परिव्यय लगभग 5.6 प्रतिशत रहा है।[5]

महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए योजनाओं का प्रारंभ

शिक्षा को हमेशा से महिला सशक्तिकरण को सुगम बनाने और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता रहा है। विद्यालय लैंगिक समाजीकरण में प्रमुख भूमिका

निभाते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों में लैंगिक न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक उचित दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करें। शिक्षा सामाजिक क्षेत्र का अनिवार्य घटक है। राज्य के समग्र विकास में मानव पूंजी का विकास आवश्यक है। बिहार में महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना शुरू की गई।6

बिहार में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय वर्ष 2012–13 में 14321.15 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022–23 में 43699.54 करोड़ रुपया हो गया। इन वर्षों में 11.2% की वार्षिक वृद्धि दर से शिक्षा का व्यय बढ़ा। इसका प्रभाव बिहार के शिक्षा क्षेत्र पर देखने को मिलता हैं।7

बालिकाओं का उच्च शिक्षा में उपस्थिति बढ़ाने एवं आवगमन के साधन में सुधार हेतु मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना का आरंभ वर्ष 2007–08 में किया गया। इस योजना के तहत कक्षा 9 में 75% से ज्यादा उपस्थित रहने वाले छात्राओं के लिए उनके बैंक खाते के माध्यम से साईकिल खरीद हेतु ₹ 3000 का लाभ हस्तांतरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का आरंभ वर्ष 2008–09 में कक्षा 1 से 8 की छात्राओं के लिए न्यूनतम 75% उपस्थित रहने पर पोशाक खरीदने हेतु इस योजना का शुरूआत किया गया। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना वर्ष 2011–12 में कक्षा 9 एवं 10 की छात्राओं के लिए पोशाक खरीदने हेतु शुरू किया गया। इसके जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत ₹1500 भेजे जाते हैं।

मुख्यमंत्री बालिका छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत वर्ष 2009–10 में बालिकाओं के लिए किया गया। इसके अंतर्गत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को ₹10000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है। बालिकाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन एवं सशक्तिकरण के लिए 2018–19 में मुख्यमंत्री बालिका (इन्टरमीडिएट) योजना की शुरुआत की गई, जिसमें अविवाहित छात्राओं को ₹ 25000 की रकम दी जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अविवाहित छात्राओं को ₹ 50000 स्नातक की शिक्षा पूर्ण कर लेने पर दी जाती है।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बिहार की महिला अभ्यार्थियों हेतु, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें एक मुस्त सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर महिला अभ्यार्थियों को क्रमशः ₹1,00,000 एवं ₹ 50,000 सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किया जाता हैं। अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 1405 और संघ लोक सेवा आयोग के लिए 80 महिला अभ्यार्थियों को लाभ पहुंचाया गया हैं। इसके तहत निगम द्वारा ₹ 7,82,50,000 का भुगतान किया गया है।[8]

बालिका छीजन दर

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लागू की गई नीतियाँ महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देकर उनके शासन में संलग्र होने की संभावनाओं को बढ़ाती हैं। इन पहलों ने महिलाओं को

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.70

सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में भाग लेने का मौका दिया, जिससे शासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और विभिन्न समुदायों में समन्वित विकास को बढ़ावा मिला है।

बिहार में बालिका छीजन दर में व्यापक अंतर देखा गया हैं। वर्ष 2013–14 में प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं का छीजन दर 26.03% था यह घटकर वर्ष 2022–23 में 0% पर पहुँच गई। उच्च प्राथमिक क्षेत्र में बालिकाओं का छीजन दर वर्ष 2013–14 में 38.70% से वर्ष 2022–23 में 2.3 हो गया।

वर्ष 2015–16 से 2022–23 के बीच लैंगिक अंतराल में आई कमी राज्य में शिक्षा के विकास का एक अन्य सकारात्मक सूचक है। प्रारंभिक स्तर पर लैंगिक अंतराल वर्ष 2015–16 के 7.29 लाख से घटकर वर्ष 2022–23 में 4.76 लाख रह गया। यह रुझान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर भी दिखते हैं। अजा विद्यार्थियों में भी लैंगिक अंतराल वर्ष 2015–16 के 1.76 लाख से घटकर वर्ष 2022–23 में 0.70 लाख रह गया। इसी अवधि में अजजा विद्यार्थियों के बीच लैंगिक अंतराल में 0.26 लाख की कमी आई।[9]

जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत संस्थागत प्रसव की संख्याः (आँकड़ें–लाख में)

स्त्रोतः बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21, 2021–22 एवं 2023–24 पर आधरित

संस्थागत प्रसव लोक स्वास्थ्य सेवा में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मां और बच्चे के जीवन की रक्षा करता है वही प्रसव की जटिलता को भी कम करता है। संस्थागत प्रसव में सकारात्मक वृद्धि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई है। वर्ष 2006–07 में जहां 1.17 लाख संस्थागत प्रसव हुए। वहीं वर्ष 2019–20 में इनकी संख्या बढ़कर 16.46 लाख हो गया। यह वृद्धि 14 गुना से भी अधिक है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुल संस्थागत प्रसव में वर्ष 2005–06 में 22% से वर्ष 2019 में 54.2% की वृद्धि हुई।

बिहार के लिए जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में काफी बदलाव हुआ है। वर्ष 2010–14 में यह 68.1 साल था वही वर्ष 2016–20 में यह बढ़कर 69.5 साल हो गया। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 (2005–06) से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण–5 (2019–21) के बीच भारत में संस्थागत प्रसवों का हिस्सा 49.9 प्रतिशत से 88.6 प्रतिशत तक बढ़ा। वर्ष 2019–20 में बिहार में संस्थागत प्रसवों में 56.3% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2005–06 में 19.9% से 76.2% पहुंच गया।[10]

गर्भावस्था और प्रसव के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलता से बचाव और उससे निपटने में स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमता का दूसरा सूचक मातृ मृत्यु दर है। मातृ मृत्यु दर पर प्रतिदर्श निबंध प्रणाली की आंकड़ों के अनुसार बिहार में प्रसव से संबंधित मामलों में मरने वाली महिलाओं की संख्या वर्ष 2015–17 में 165प्रति लाख जीवित पर से घटकर वर्ष 2018–20 में 118 रह गई। कुल 47 अंकों की गिरावट आई। संपूर्ण भारत में इस अवधि में 25 अंकों की गिरावट हुई। वर्ष 2004 में बिहार में मातृ मृत्यु दर 312 थी जबकि भारत में 254 था। इस प्रकार बिहार में सरकार द्वारा मातृ मृत्यु दर में तेजी से कमी लाकर राष्ट्रीय स्तर के अंतर को कम किया है।[11]

महिलाओं में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार सरकार ने स्वयं सहायता समूह आधारित जीविका परियोजना को बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकों के साथ ऋण संपर्क हेतु जोड़ा गया। इससे वित्तीय समावेश को मजबूती मिली और बचत की संस्कृति को बढ़ावा मिला। सितंबर 2023 तक संचित रूप से 10.02 लाख स्वयं सहायता समूह के बैंक खाता खुला, जिसमें 34463.96 करोड़ रुपए की कुल 18.95 लाख स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के साथ ऋण संपर्क हुआ।

बिहार में यात्रा करते समय महिलायें स्वयं को सुरक्षित महसूस करे इसलिए गृह विभाग द्वारा ''सुरक्षित सफर सुविधा'' की शुरूआत की गयी। तेलंगाना और हरियाणा के बाद बिहार इस कार्यक्रम को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु कार्य सहभागिताा दर को बढ़ाने के लिए ''आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार'' नीति के तहत बिहार में महिलाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय की शिक्षक रिक्त में 50% सीट महिलाएं के लिए आरक्षित किया, पुलिस बल में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया हैं। साथ ही साथ सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की व्यवस्था की व्यवस्था की गई हैं। नवीनतम आर्थिक श्रम बाल सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर वर्ष 2018–19 में 4.5% से बढ़कर वर्ष 2020–21 में 11% हो गई है। यह 6.5% की वृद्धि है। यह वृद्धि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए गए सरकारी योजनाओं का परिणाम है।[12]

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और समाज में उनकी स्थिमि मजबूत करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य जोखिम कोष, अल्पावास गृह एवं सामाजिक जागरूकता हेतु अधिनियम पारित किए गए हैं।[13]

वर्ष 2019 के बिहार के पंचायती राज संस्थानों में निर्वाचित 127391 प्रतिनिधियों में 57887 महिला हैं, जो 45.44% हैं। यह नीतीश कुमार की महिला सशक्तिकरण की सराहनीय कोशिशों को दिखाता है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.70

सूचकांक	बिहार (NFHS-5)	बिहार (NFHS-4)
वर्तमान में विवाहित महिलाएं जो आमतौर पर घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं (%)	86.5	75.2
पिछले 12 महीनों में काम करने वाली और नकद में भुगतान पाने वाली महिलाएं (%)	12.6	12.5
अकेले या अन्य के साथ मिलकर घर और/या ज़मीन की मालिक महिलाएं (%)	55.3	58.8
महिलाओं के पास ऐसा बैंक या बचत खाता है जिसे वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	76.7	26.4
महिलाओं के पास ऐसा मोबाइल फोन जिसे वे स्वयं उपयोग करती हैं (%)	51.4	40.9

स्त्रोतः राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वे– 4 और 5

नंदी फाउंडेशन (2018) ने किशोर आयु वर्ग (टीएजी) सर्वेक्षण में पाया कि 13–19 वर्ष की लगभग 40 प्रतिशत लड़कियां 21–25 वर्ष की आयु में शादी करना चाहती हैं। 20 से 24 आयु की 40 प्रतिशत से अधिक लड़कियां 18 वर्ष की आयु से पहले की शादी कर ली (NAFHS 5)। 13 से 19 वर्ष की आयु की 90 प्रतिशत लड़कियों की शादी नहीं हुई है। बाल विवाह की अतीत की व्यापकता को देखते हुए उत्साहजनक है। बिहार की लड़कियां बहुत कुछ करना चाहती है। लड़कों की तुलना में लगभग 47% और 50% लड़कियों का मानना है कि शिक्षा और नौकरी के मामलों में लड़कों को अधिक अवसर मिला हैं। 13–19 आयु वर्ग की 80 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, यह राष्ट्रीय औसत के समान है। 13 से 19 वर्ष की आयु की 50 प्रतिशत से अधिक लड़कियाँ स्नातक या नौकरी हेतु प्रवेश परीक्षा के लिए पढ़ना चाहती हैं। 13–19 वर्ष की आयु वर्ग की दो–तिहाई से अधिक लड़कियों ने काम करना या करियर बनाना चाहा।[14]

शासन में महिलाओं की भागीदारी पर राजनीतिक पहलों का प्रभाव

बिहार में शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कई राजनीतिक पहलों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, बिहार विकास मिशन और जीविका प्रोजेक्ट जैसी पहलें न केवल विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, बल्कि इनसे महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने में भी मदद मिली है।

महिला भागीदारी की राजनीतिक पहलें न केवल व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं, बल्कि समाज के लिए एक समग्र सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी कार्य करती हैं। महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करना समावेशी नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण नीति थी। पंचायती राज संस्था और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण इनमें से एक है। इस नीति ने राज्य में सामाजिक रूप से वंचित आधे वर्ग को लोकतांत्रिक रूप से उभार दिया। यह निर्णय पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन गया।[15]

मतदान प्रतिशतः पुरुष–महिला

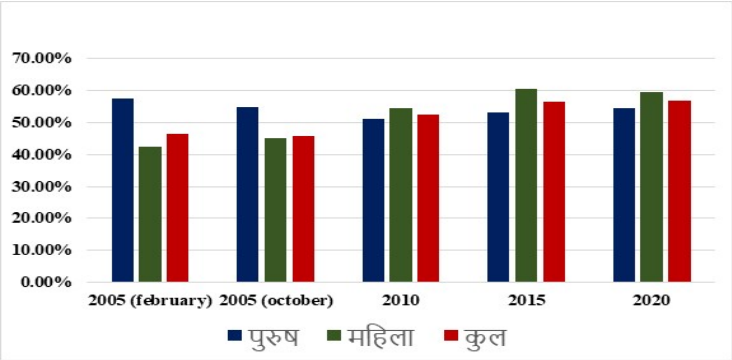

स्त्रोतः निर्वाचन आयोग से संकलित (2005–2020)

स्वतंत्रता के बाद 2010 विधानसभा चुनाव से पूर्व हुए बिहार चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से कम था। ऐसा मानना है कि महिलाएं राजनीति में कम दिलचस्पी रखती हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव ने इस मिथक को खारिज कर दिया। इस चुनाव में महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों से अधिक था। 2010 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों ने 51.12% वहीं महिलाओं ने 54.49 प्रतिशत मतदान किया। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण और सहभागिता का प्रतीक हैं।[16]

प्रगति के बावजूद बिहार में महिलाओं को सामना करने वाली चुनौतियाँ

बिहार में महिलाओं के अधिकारों और उनकी स्थिति में प्रगति के संकेत मिलते हैं। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। सड़क से दफ्तर, दफ्तर से घर तक सकारात्मक माहौल उन्हें खुले आसमान में उड़ने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है। महिला आरक्षण के अलावा भी सरकार द्वारा कई मुहिम चलाई जा रही है जिनके फलस्वरूप वह सशक्त होकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रही है।[17] परंतु चुनौतियाँ अभी भी उनके सामर्थ्य के विकास में बाधा बनती हैं। महिला शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है परंतु सामाजिक और आर्थिक असमानता आज भी मौजूद हैं, जो महिलाओं के विकास की संभावनाओं को सीमित करती है।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण की दिशा में नीतीश कुमार द्वारा किया गया कार्य बिहार की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। नीतीश कुमार नीति सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से महिलाओं की पारंपरिक भूमिका और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ हैं। नीतिगत सुधारों के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिमि में महत्वूपर्ण सुधार लाने का प्रयास किया है। बिहार विकास मिशन और जीविका परियोजना जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इसका सीधा प्रभाव उनकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर पड़ा है। नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को लागू किया है, जिससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्धारित की है। इससे न केवल

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i03.70

महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि समाज में उनके प्रति अपेक्षाएं भी बदली हैं, जो एक समावेशी विकास का संकेत है।

नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में परिवर्तन हुआ हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए अनेक योजनाएँ लागू की गयी हैं, जैसे बालिका साईकिल योजना और विवाह अनुदान योजना, आदि। यह परिवारों को बेटियों की शिक्षा और विवाह में आर्थिक सहारा देती हैं। यह बालिका के सामाजिक अस्तित्व को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के अवसर में वृद्धि हुई। नीतीश कुमार नीत सरकार द्वारा स्थानीय शासन में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई और महिला निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने लगी। इससे वे निर्णय लेना सीख रही हैं और समाज में अपनी आवाज उठा रही हैं। नीतीश कुमार नीत सरकार के द्वारा लैंगिक बजट अपनाने से महिलाओं के लिए लक्षित योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन में तेजी आयी। इससे महिलाओं का बहुआयामी विकास हुआ साथ ही साथ लिंग आधारित समानताओं में वृद्धि हुई। इस प्रवृत्ति से बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का भविष्य निश्चित रूप से सकारात्मक और समृद्ध हुआ है। यह एक समतामूलक समाज की स्थापना में सहायक सिद्ध होगा।

संदर्भ

1. मोक्ता, एम. (2014), भारत में महिला सशक्तिकरणः भारत में महिला सशक्तिकरण का एक आलोचनात्मक विश्लेषण, भारतीय लोक प्रशासन जर्नल. 60(3): पृ० सं०–473–488।
2. रंजन, डॉ0 रघुवीर कुमार (2025), बिहार में गठबंधन की राजनीतिः एक अध्ययन (2005 से 2020) शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ० सं०–185।
3. कुमार, सी विनोद (2021), इंपावरमेंट ऑफ वुमन थ्रू एम.एस. एम.ई. इन इंडिया, प्रो0 सी वी भांगरी, (सम्प) वेरीअस डायमेंसंस ऑफ वुमन इंपावरमेंट इन इंडिया, पृ० सं०–1।
4. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020–21 पृ० सं०–401 एवं 2023–24 पृ० सं०–502।
5. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, पृ० सं०–14–15।
6. झा, प्रो0 कामेश्वर, (2020) नीत नूतन बिहार उन्नायक–नीतीश कुमार, दिल्लीः समीक्षा प्रकाशन, पृ० सं०–125।
7. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, पृ० सं०–470।
8. उपरोक्त पृ० सं०–506।
9. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24, पृ० सं०–465।
10. उपरोक्त, पृ० सं०–14।
11. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23, पृ० सं०–17।
12. सिद्धार्थ, एस और वरना गांगुली, द पार्ट टूवर्ड्स जेंडर मेंनस्ट्रीमिंग फॉर परमिट्स ऑफ डेवलपमेंट, पृ० सं०–547।

13. कुमारी, डॉ0 नीतू (2025), विभाजनोप्रांत बिहार में विकास की राजनीतिः एक अध्ययन, शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ० सं०–44।
14. मेहरोत्रा, संतोष और राकेश रंजन कुमार (2024) हुमन डेवलपमेंट इन बिहारः डिससर्टिग इशूस (संपादित) शंकर कुमार भौमिक, डेवलपमेंट विथ जस्टिसः रौतलेज, न्यू दिल्ली, पृ० सं०–91।
15. कुमारी, डॉ0 नीतू (2025), विभाजनोप्रांत बिहार में विकास की राजनीतिः एक अध्ययन, शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ० सं०–40।
16. रंजन, डॉ0 रघुवीर कुमार (2025), बिहार में गठबंधन की राजनीतिः एक अध्ययन (2005 से 2020) शोध प्रबंध, एल एन एम यू, पृ० सं०–149।
17. ठाकुर, रामनाथ (संपादित) कुमार वरुण, प्रयोग धर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार, पृ० सं०–39।